सरकार जरिये तहसीलदार बिजौलियां

बनाम

खनि अभियंता बिजौलियां .....अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक 03.01.2018

:–निर्णय:–

प्रार्थनापत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार बिजौलियां ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–3) के परिपत्र प3 (8) राज, 396 दिनांक 17.01.2002 द्वारा आदेशित किया कि खनिज विभाग सरकारी भूमि के वे खसरा नं0 जो खनिज सम्भावित ऐरिया है उनकी सूची तहसीलदार को भेजेंगे जो रेकार्ड के अन्दर खनिज सम्भावित होने का अंकन उन खसरा नं0 के सामने करेगे जो भूमि की किस्म के साथ साथ खनिज सम्भावित क्षेत्र का अंकन भी करेंगे ये इन्द्राज भी रेकार्ड में जरिये नामान्तरकरण किया जावेगा। ताकि खनिज सम्भावित क्षेत्र आवंटन या नियमन या वन विभाग को हस्तान्तरित नही हो सके। राज्य सरकार के उक्त परिपत्र एंव श्रीमान जिला कलक्टर महोदय भीलवाडा के आदेश क्रमांक एफ12–12(एफ) आर/94 दिनांक 25.01.2002 की पालना में खनिज अभियंता बिजौलियां से प्राप्त कर खनिज सम्भावित क्षेत्र की सूची अनुसार अंकन किया जाता है। खनिज विभाग द्वारा सरकारी भूमि के साथ साथ चरागाह भूमि को भी खनिज सम्भावित दर्ज करवा दी गई है। जबकि परिपत्र अनुसार सरकारी भूमि को ही खनिज सम्भावित दर्ज किया जाना था। चरागाह भूमि से खनिज सम्भावित का नोट हटाने उचित कार्यवाही हेतु श्रीमान जिला कलक्टर महोदय को तहसीलदार बिजौलियां द्वारा पत्रांक 906–07 दिनांक 18.10.2003 से निवेदन करने पर कलक्टर भीलवाडा के पत्रांक/ आरए/02 दिनांक 16.03.2004 से आंदेशित किया कि परिपत्र के विपरित राजस्व रेकार्ड में चरागाह वन क्षैत्र आदि भूमियो के लिए भी खनन सम्भावित क्षेत्र की प्रविटिया के अंकन को हटाने हेतु तहसीलदार पुरे तथ्यो सहित एल0आर0एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र संबंधित उपखण्ड न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। उपखण्ड अधिकारी गुणावगुण एंव नियमों के सन्दर्भ में उक्त प्रकार की भूमियों के खनन सम्भावित क्षेत्र से संबंधित प्रविष्टियों 1–5 को हटाये जाने के संबंध में निर्णय पारित करके कार्यवाही सम्पादित कराई जायेगी। इसी क्रम में तहसील क्षेत्र की कुल किता 276 रकबा 8920.12 बीघा जो बिलानाम भूमि के अलावा अन्य भूमि जैसे चरागाह गै0मु0 रास्ता आबादी आदि में दर्ज खनिज सम्भावित क्षेत्र जिसकी आराजी वाईज सूची संलग्न खनन सम्भाावित का नोट हटाये जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर नोटिस जारी किया गया।

03/01/18
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि. भीलवाड़ा

खनि अभियंता बिजौलियां ने प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करते हुये प्रार्थना पत्र खारीज करने हेतु निवेदन किया। अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि चरागाह भूमि पर खनन पट्टे हेतु माननीय जिला कलक्टर की राज्य सरकार द्वारा 4 हेक्टेयर से अधिक भूमि हेतु शासन द्वारा अनापति देने का प्रावधान है। यदि चरागाह भूमि में खनिज सम्भावित क्षेत्र अंकन कर लिया गया है तो इससे जमीन के स्टेटस पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडेगा। कई चरागाह क्षेत्र ऐसे है जह

प्रकरण इस न्यायालय ... की अध्यापेक्षा ...
सुनवाई कर विधि एंव नियमों की ... पत्रावली का अवलोकन किया गया।

हमने उभय पक्षकरों की बहस सूनी पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश 28.04.2005 से श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय भीलवाडा के आदेश क्रमांक/12–12–(21) आरए/02 दिनांक 19.04.2005 की पालना में सार्वजनिक प्रयोजन की भूमियों से खनन सम्भावित का नोट हटाने का आदेश पारित किया है। सम्भागिय आयुक्त महोदय द्वारा इस आदेश को विधि के प्रतिकुल मानते हुये निर्णय अपास्त कर प्रकरण रिमाण्ड किया है। खनन सम्भावित का नोट खनन विभाग व राजस्व विभाग के संयुक्त सर्वे के आधार पर राज्य सरकार (जिला कलक्टर महोदय भीलवाडा) के उक्त आदेश की 19.05.2005 की पालना में लगाया गया है। राज्य सरकार व जिला कलक्टर महोदय भीलवाडा के उक्त आदेश की अनुपालना में लगाया गया है। सम्भागिय आयुक्त महोदय द्वारा उक्त जिला कलक्टर महोदय भीलवाडा के आदेश क्रमांक की सही ढंग से पालना करने हेतु इंगित किया है।

खान (ग्रुप 2) विभाग राजस्थान सरकार ने जो राजकीय भूमि राजस्व रिकार्ड में खनिज सम्भावित क्षेत्र दर्ज है, को विभिन्न प्रयोजनार्थ आवंटन हेतु खनिज विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने के संबंध में दिनांक 17 सितम्बर 2007 को एक परिपत्र जारी किया जिसमे प्रावधान किया गया है कि जिला कलक्टर संबंधित अधिक्षण भू–वैज्ञानिक एंव खनिज अभियंता/सहायक खनिज अभियंता की रिपोर्ट पर अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करके राजकिंय भूमि को आवंटित करने हेतु नियमानुसार निर्णय करेंगे। खनिज अभियंता एंव अधिक्षण भू–वैज्ञानिक खनिज सम्भावित क्षेत्र में अनापत्ति प्रमाण–पत्र देने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि क्षेत्र में कोई खनन पट्टे स्वीकृत नही है और ना आवेदित है। क्षेत्र में बहूमूल्य खनिज दोहन की सम्भावना भी नही है जिससे राज्य को खनिज राजस्व की हानी हो। विशेष प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर निदेशक खान के जरिये प्रस्ताव शासन को प्रेषित करे। राजस्थान माईनर, मिनरल, कनशेसन रुल्स 2017 (आर.एम.एम.सी.आर.) के नियम 32 (3) के अनुसार राजस्व रिकार्ड में खनिज सम्भावित क्षेत्र के रुप में दर्ज राजकीय भूमि का स्टेटस खान विभाग की पूर्व अनुमति के बिना राजस्व प्राधिकारीयों द्वारा नही बदला जावेगा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा0ले0रे0एक्ट अपास्त किया जाता है तहसील बिजौलियां राज्य सरकार के निर्देशानुसार ही अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करे।

आदेश आज दिनांक 03.01.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

03/01/18

(प्रवीण कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया